न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 41/2020

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. हेमन्त कुमार पुत्र चन्दुमल जाति सिन्धी निवासी सिन्धी कॉलोनी, नेहरू नगर, बाड़मेर (मैसर्स रामपान किराणा स्टोर, बाड़मेर का मालिक)
2. उमेश कुमार पुत्र धालू मल जाति सिन्धी निवासी गायत्री मंदिर के पीछे, हाई स्कूल रोड, बाड़मेर (मैसर्स पंकज एजेन्सी जिला बाड़मेर का मालिक)
3. नितेश शारदा पुत्र चन्द्र नारायण शारदा जाति महेश्वरी निवासी पुंगलियों की गली, पुंगलपाडा, जोधपुर (मैसर्स महेश ट्रेडिंग कम्पनी, उम्मेद हॉस्पीटल के पीछे, हरनाथ का बेरा, सिवान्ची गेट, जोधपुर का भागीदार)
4. शिवम शारदा पुत्र महेश शारदा जाति महेश्वरी निवासी पुंगलियों की गली, पुंगलपाडा, जोधपुर (मैसर्स महेश ट्रेडिंग कम्पनी, उम्मेद हॉस्पीटल के पीछे, हरनाथ का बेरा, सिवान्ची गेट, जोधपुर का भागीदार)
5. निर्मल कुमार जैन नोमिनी परसन ऑफ मैसर्स अशोक एण्ड क0, पान बहार लि0 यूनिट 4, प्लॉट न0 19ए/इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामा रोड, न्यू दिल्ली

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओ[illegible]स्थित।
2. श्री भूरचन्द जांगिड[illegible] ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:57:17 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

आदेश

दिनांक : 25.04.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स रामपान किराणा स्टोर, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **19.10.2019** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड बेगम (200 ग्राम)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 8 पैकेट **पान मसाला ब्राण्ड बेगम (200 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1113** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड बेगम (200 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड बेगम (200 ग्राम)** का नमूना जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **13.11.2019** में उक्त नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है।

3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **13.11.2019** में उक्त नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाया गया [illegible] पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब [illegible] सुनवाई के प्रत्येक स्तर पर जवाब हेतु अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में काई ठोस एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत नहीं [illegible] जुर्म की मौन स्वीकारोक्ति है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्य 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **मिथ्याछाप** पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:57:17 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से रूपये 50,000/– एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 5 पर संयुक्त रूप से रूपये 2,00,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.05.02 09:57:17 IST
Reason: SelfAttested